एक्सपोज़र प्रारूप

संदर्भ सं.:- **दिनांकः 16-02-2022**

आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 में प्रस्तावित संशोधनः

1. बीमा उद्योग की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण करते हुए दोनों बीमाकर्ताओं और अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) को परिचालनात्मक स्वतंत्रता की अनुमति देने की संभावना का परीक्षण करने के लिए आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 की व्यापक तौर पर समीक्षा की गई है। बीमाकर्ताओं और टीपीए को आगे और सुविधाओँ की अनुमति देने के परिप्रेक्ष्य से भी वर्तमान विनियमों का पुनरीक्षण किया गया है।

2. संशोधन करने के लिए प्रस्तावित उपबंध, प्रस्तावित आशोधन और प्रस्तावित आशोधनों के लिए तर्काधार **अनुबंध-क** में हैं।

3. आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2022 का प्रारूप **अनुबंध-ख** में है।

4. सभी हितधारकों से अनुरोध है कि वे पस्तावित आशोधनों पर अपनी टिप्पणियाँ / सुझाव, यदि कोई हों, संलग्न फार्मेट में Pankaj.sharma@irdai.gov.in को 6 मार्च 2022 तक अग्रेषित करें।

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य)

अनुबंध-ख

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2022 का प्रारूप

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./आरईजी/xx/2022 --- बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धाराओं 14 और 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के उपरांत, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 का आगे और संशोधन करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ---** (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2022 कहलाएँगे।
   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 में---
क. विनियम 2 के उप-विनियम (i) के खंड (ख) को हटाया जाएगा।
ख. विनियम 3 के शीर्षक के लिए निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :
"स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का विस्तार"
ग. विनियम 3 के उप-विनियम (ख) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"जीवन बीमाकर्ता वैयक्तिक अथवा सामूहिक तौर पर क्षतिपूर्ति आधारित उत्पाद प्रस्तावित नहीं करेगा।"
घ. विनियम 3 के उप-विनियम (ग) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"बीमाकर्ता स्वास्थ्य बीमा उत्पाद समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित अवधि के लिए प्रस्तावित कर सकते हैं।"
ङ. विनियम 3 के उप-विनियम (घ) को हटाया जाएगा।
च. विनियम 3 के उप-विनियम (ङ) को हटाया जाएगा।
छ. विनियम 4 के उप-विनियम (ख) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
जीवन बीमाकर्ताओं के स्वास्थ्य बीमा उत्पाद भी समय-समय पर यथाआशोधित निम्नलिखित विनियमों में स्वास्थ्य उत्पादों के लिए विशिष्ट रूप से व्यवस्थित उपबंधों के अधीन होंगेः

1. आईआरडीएआई (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
2. आईआरडीएआई (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019
3. आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017.

ज. विनियम 5 के उप-विनियम (ii) को हटाया जाएगा।

झ. विनियम 7 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“बीमाकर्ता सामूहिक स्वास्थ्य पालिसियाँ समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किये जानेवाले दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित कर सकते हैं।”

ञ. विनियम 8 के उप-विनियम (ख) में, शब्द “अवमानक” के स्थान पर शब्द “अमानक” को रखा जाएगा।

ट. विनियम 8 के उप-विनियम (घ) में, शब्द “साधारण बीमाकर्ता और स्वास्थ्य बीमाकर्ता” के स्थान पर शब्द “बीमाकर्ता” रखा जाएगा।

ठ. विनियम 9 के उप-विनियम (क) को हटाया जाएगा।

ड. विनियम 12 के उप-विनियम (ii) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“यात्रा बीमा उत्पादों और यहाँ इन विनियमों में विनियम 2(i)(ठ) में उल्लिखित प्रायोगिक उत्पादों को छोड़कर, जहाँ एक बार प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और पॉलिसी जारी की जाती है जिसका उसके बाद किसी क्रमभंग के बिना आवधिक रूप से नवीकरण किया जाता है, वहाँ आगे नवीकरण को बीमाकृत व्यक्ति की आयु के आधार पर अस्वीकार नहीं किया जायेगा।”

ढ. विनियम 13 के शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई स्वास्थ्य पॉलिसियों का नवीकरण (यात्रा पॉलिसियों पर लागू नहीं)”

ण. विनियम 15 को हटाया जाएगा।

त. विनियम 25 के शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“छूट और लोडिंग”

थ. विनियम 25 के उप-विनियम (i) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“वैयक्तिक उत्पादों के लिए, नवीकरण पर लोडिंग समूचे संविभाग के लिए प्रस्तावित किये जाएँगे और किसी वैयक्तिक पॉलिसी दावा अनुभव के आधार पर नहीं होंगे।”

द. विनियम 25 के उप-विनियम (iii) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“कोई भी बीमाकर्ता नवीकरण के स्तर पर डॉक्टरी जाँच, नये प्रस्ताव फार्म की माँग करते हुए नये जोखिम-अंकन का सहारा नहीं लेगा, जहाँ प्रस्तावित बीमित राशि में कोई परिवर्तन नहीं हो। बशर्ते कि जहाँ जोखिम प्रोफ़ाइल में सुधार हो, वहाँ बीमाकर्ता नवीकरण के बिन्दु पर लोडिंगों को हटाने अथवा छूट प्रस्तावित करने हेतु उसे स्वीकार करने के लिए प्रयास कर सकता है।”

ध. विनियम 28 के लिए, उप-विनियम (i) से पहले निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएँगे, अर्थात् :-

“समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निर्धारित अपेक्षाओं के अतिरिक्त, पॉलिसी दस्तावेज में निम्नलिखित निहित होंगेः”

न. विनियम 28 के उप-विनियम (iv) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“समय-समय पर यथाआशोधित आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के प्रयोज्य उपबंधों के अनुसार पॉलिसी दस्तावेज में दंडात्मक ब्याज का प्रावधान अनिवार्यतः शामिल किया जाएगा।”

प. विनियम 30 के उप-विनियम (ख) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"नेटवर्क प्रदाताओं के पास नकदीरहित सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बीमाकर्ता जिम्मेदार होगा।"

फ. विनियम 30 के उप-विनियम (छ) को हटाया जाएगा।

ब. विनियम 31 के शीर्षक के लिए, निम्नलिखित शीर्षक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"नेटवर्क प्रदाताओं से संबंधित मानदंड"

भ. विनियम 31 के उप-विनियम (क) को हटाया जाएगा।

म. विनियम 31 के उप-विनियम (ख) को हटाया जाएगा।

य. विनियम 31 के उप-विनियम (ग) को हटाया जाएगा।

कक. विनियम 31 के उप-विनियम (घ) के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बीमा कंपनी नकदीरहित सुविधा उपलब्ध कराने के लिए समूचे भौगोलिक विस्तार में पर्याप्त संख्या में दोनों सरकारी और निजी क्षेत्र नेटवर्क प्रदाताओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास करेगी।"

खख. विनियम 35 के उप-विनियम (ख) को हटाया जाएगा।

गग. अनुसूची-I के खंड 4 के लिए, निम्नलिखित परंतुक को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि जहाँ सुवाह्यता के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाता है, वहाँ बीमाकर्ता का उत्तरदायित्व होगा कि वह वर्तमान बीमाकर्ता(ओं) से पिछले पालिसी वर्षों का पूरा दावा वृत्त प्राप्त करे। वर्तमान बीमाकर्ता(ओं) के पास पहले से ही प्रस्तुत अथवा किये गये किसी भी दावे के अप्रकटीकरण के आधार पर किसी दावे को निराकृत नहीं किया जाएगा।"

घघ. अनुसूची-I के खंड 7 के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

उपर्युक्त खंड (1) के अंतर्गत उल्लिखित सूचना प्राप्त होने पर बीमा कंपनी आवेदक को अनुबंध-I में निर्धारित रूप में उक्त सुवाह्यता फार्म, एक प्रस्ताव फार्म और प्रस्तावित किये जा सकनेवाले विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में संबंधित उत्पाद साहित्य के साथ प्रेषित करेगी।

ङङ. अनुसूची 1 के खंड 9 के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

सुवाह्यता फार्म की प्राप्ति से 5 कार्यदिवसों के अंदर, बीमा कंपनी संबंधित पॉलिसीधारक के स्वास्थ्य वृत्त और दावा वृत्त के आवश्यक विवरण की अपेक्षा वर्तमान बीमा कंपनी से करेगी। यह आईआईबी द्वारा अनुरक्षित किये जा रहे वेब पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा।

चच. अनुसूची-I के खंड 12 के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

वर्तमान बीमा कंपनी से डेटा प्राप्त होने पर नई बीमा कंपनी प्रस्ताव का जोखिम-अंकन कर सकती है तथा अपना निर्णय पॉलिसीधारक को आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के विनियम 8(6) में विनिर्दिष्ट रूप में सूचित करेगी।

छछ. अनुसूची 1 के खंड 19 के बाद, निम्नलिखित खंड को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों में स्वास्थ्य बीमा पालिसी के संवहन (पोर्टिंग) के दौरान पालिसीधारकों की जिम्मेदारियों के साथ ही, अनुसरण की जानेवाली कार्रवाइयों के क्रम से संबंधित सूचना निहित होगी।

जज. अनुसूची-II के खंड 3(ख)(viii) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

बीमाकर्ता समय-समय पर यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2021 के अनुसार विज्ञापन जारी करने की तारीख से सात दिन के अंदर प्राधिकरण के पास विज्ञापनों की फाइलिंग सुनिश्चित करेंगे।

झझ. अनुसूची III के खंड 2 के बाद निम्नलिखित खंड को निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:-

2(क) विनियम 3(ग): स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की अवधि।

क्रम सं.	विनियम सं. और उप- विनियम सं.	टिप्पणियाँ/सुझाया गया परिवर्तन	टिप्पणियों/सुझाव के लिए तर्काधार/कारण

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

Insurance Regulatory and Development Authority of India

'ड्राफ्ट आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) (संशोधन) विनियम, 2022' पर टिप्पणी प्रस्तुत करने का प्रारूप

Format for furnishing comments on 'Draft IRDAI (Health Insurance) (Amendment) Regulations, 2022

क्रम सं. Sl. No.	विनियम सं. और उप-विनियम सं. Regulation No. & Sub Regulation No.	टिप्पणियाँ/सुझाया गया परिवर्तन Comments/Change suggested	टिप्पणियों/सुझाव के लिए तर्काधार/कारण Rationale/reasons for Comments/suggestion
1			
2			
3			
4			
5			
..			
…			
….			